

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर  
क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/ 48611

जयपुर, दिनांक: 14/8/15

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7 (2) (7) रा.छा./सान्याअवि/15/32382 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीटों तक उसी श्रेणी के अन्य छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्धि करने के राज्य सरकार के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

अनुसूचित जनजाति

क्र.स.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	प्रस्तावित क्षमता		
				कमी	वृद्धि	योग
<b>जिला-बून्दी</b>						
1.	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, बून्दी	एस.टी.	75	0	25	100
			<b>योग</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>जिला-राजसमन्द</b>						
2.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खमनोर	एस.टी.	50	15	0	35
3.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नाथद्वारा	एस.टी.	50	10	0	40
			<b>योग</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
			<b>महायोग</b>	<b>175</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
						<b>175</b>

12.8.15

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक: 14/8/15

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्याअवि/15/ 48612-620

प्रतिलिपी : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, .....
5. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, .....
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, .....
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित जिलाधिकारियों को ई.मेल. कराते हुये आदेश में उल्लेखित छात्रावास की स्वीकृत क्षमता के परिवर्तन को छात्रावास की सूची में भी सम्मिलित करावें।
9. आदेश पत्रावली।

12/8/15

अतिरिक्त निदेशक  
(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)